In the Court of District & Addl. Sessions Judge-II
Vaishali at Hajipur

Title Appeal No. - 08/2017

आदेश

21.11.2024

1. उभय पक्षो की ओर से हाजरी दी गयी।

2. वाद पुकार पर संबंधित पक्षो के वि0 अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित हुए। अपीलकर्ता की ओर से दाखिल आवेदन दिनांक 15.11.2021 तथा उसे संबंधित प्रतिउत्तर दिनांक 03.01.2022, एक अन्य आवेदन दिनांक 29.09.2022 जो कि आवेदकगण द्वारा दाखिल किया गया हैं और उसे संबंधित आवेदन दिनांक 30.01.2024 तथा एक अन्य प्रतिस्थापना आवेदन जो उत्तरदावी सं0–1 चिन्तामणि देवी की मृत्यु होने के आलोक में उनके वरिसानो को प्रतिस्थापित करने के लिए दिया गया हैं जो कि दिनांक 01.02.2024 का हैं और एक अन्य आवेदन दिनांक 06.02.2024 और उससे संबंधित प्रतिउत्तर दिनांक 08.02.2024 और एक अन्य आवेदन दिनांक 22.02.2024 जो कि विलम्ब माफी से संबंधित हैं और उससे संबंधित प्रतिउत्तर दिनांक 01.03.2024 पर पूर्णरूपेण सुना गया। दोनो पक्षो के वि0 अधिवक्ता न्यायालय से अनुरोध करते हैं कि पक्षो के बीच सुलह हो चुका हैं और ऐसी स्थिति में इन सभी आवेदनो को यदि स्वीकृत कर लिया जाता हैं और इनमें से कई आवेदन एक ही व्यक्ति के प्रतिस्थापना से संबंधित हैं उन्हें कोई आपति नहीं होगी।

3. अभिलेख अवलोकन से यह स्पष्ट होता हैं कि यह अपीलवाद द्रौपदी देवी एवं प्रेमशीला देवी एवं दीना सिंह इत्यादि द्वारा मो0 चिन्ता देवी (उत्तरदावी प्रथम पक्ष), हरेन्द्र कुमार सिंह एवं हरि नारायण सिंह, (उत्तरदावी द्वितीय पक्ष) के विरूद्ध निर्णय एवं डिक्री दिनांक 29.11.2000 एवं 09.12.2016 के विरूद्ध लाया गया हैं, जहॉ अपीलकर्तागण वादीगण थे।

4. आवेदन दिनांक 15.11.2021 अपीलकर्ता द्वारा दाखिल किया गया हैं जिसमें चर्चा की गयी हैं कि उत्तरदावी चिन्तामणि देवी, पत्नी स्व0 फेकु सिंह की मृत्यु 25.09.2021 को हो गयी हैं और उनका कोई संतान नहीं हैं तथा धारा 15बी हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 के अनुसार उनके पति के वारिसान उक्त सम्पति पर दखल कब्जे में हैं और अधिकारी हैं तथा फेकु सिंह की दोनो बहने तारकेश्वरी देवी, पत्नी स0 बिरेन्द्र कुमार सिंह और राम कुमारी देवी, पत्नी स्व0 भूपेन्द्र सिंह जिसमें से सिर्फ रामकुमारी देवी ही जीवित हैं और बड़ी बहन मुस0 तारकेश्वरी देवी की मृत्यु हो गयी हैं जिसका पुत्र अजय कुमार सिंह उर्फ मनोरंजन कुमारसिंह और दो बेटियॉ मु0 उषा देवी, पत्नी स्व0 रणविजय सिंह और श्रीमति रेणु सिन्हा, पति रामराजा सिन्हा हैं। यह भी चर्चा की गयी हैं कि अजय कुमार सिंह उर्फ मनोरंजन सिंह जो तारकेश्वरी के एक मात्र पुत्र थे, की भी मृत्यु हो गयी हैं और उसके दो पुत्र रमेश कुमार सिंह और पवन कुमार सिंह तथा दो पुत्रीयॉ मन्जूला सिंह और रागनी सिंह हैं। धारा 15बी हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 एवं धारा 2 (11) व्य0प्र0स0 के अनुसार ये लोग विधिज्ञ वरिसान एवं आवश्यक पक्षकार हैं जिनका प्रतिस्थापना होना आवश्यक हैं। आवेदन के साथ शपथ पत्र भी दिया गया हैं और प्रार्थना की गयी हैं अपीलवाद के मुख्य पृष्ठ से मु0 चिन्तामणि देवी का नाम विलोपित करते हुए मु0 रामकुमारी देवी, रत्नेश कुमार सिंह और पवन कुमार सिंह, मन्जुला सिंह, रागनी सिंह, मु0 उषा देवी, रेणु सिन्हा को पक्षकार के रूप में प्रतिस्थापित किया जाएगा। इससे संबंधित प्रतिउत्तर दिनांक 03.01.2022 में आवेदन का विरोध करते हुए चर्चा की गयी हैं कि तारकेश्वरी देवी की मृत्यु सत्र् वाद 413/2000 दाखिल करने के पूर्व ही हो चुकी हैं और ऐसी स्थिति में वह पक्षकार बने योग्य नहीं हैं और न ही उसके वारिसान आवश्यक पक्षकार हैं। असल तथ्य यह हैं कि चिन्तामणि देवी की मृत्यु दिनांक 25.09.2021 को हुई हैं और धारा 15(i)B तथा धारा 8 हिन्दू उत्तराधिकार के अधिनियम वहन विधिज्ञ वारिसान हैं और रामकुमारी देवी जो कि चिन्तामणि देवी की ननद हैं वह उसकी विधिज्ञ उत्तराधिकारी होगी और जबतक चिन्तामणि देवी के स्थान पर रामकुमारी देवी को पक्षकार नहीं बनाया जाता हैं तब तक यह आवेदन स्वीकृत करने योग्य नहीं हैं और अपील अपास्त कर गया हैं। इसी

P.T.O

लगातार
21.11.2024

आलोक में आवेदन को खारिज करने की प्रार्थना की गयी हैं। एक अन्य आवेदन दिनांक 29.09.2022 ही अपीलकर्ता की ओर से दाखिल किया गया हैं जिसमें चर्चा की गयी हैं कि पूर्व में दाखिल आवेदन लम्बित हैं किन्तु रामकुमारी देवी की भी मृत्यु दिनांक 17.07.2022 को हो गयी हैं और कृष्णा सिंह, वीणा देवी और राजकली देवी उसके पुत्र एवं पुत्रीयॉ हैं जिन्हें पूर्व में दाखिल आवेदन दिनांक 15.11.2021 में राजकुमार देवी के स्थान पर प्रतिस्थापित करने हेतु प्रार्थना की गयी हैं। यह आवेदन भी शपथ पत्र से समर्थित हैं। इसे संबंधित प्रतिउत्तर दिनांक 30.01.2024 में आवेदन का विरोध करते हुए इसे विधिज्ञ रूप से पोषनीय नहीं बताया गया हैं और इस बात का भी विरोध किया गया हैं कि पूर्व आवेदन का हिस्सा समझने के संबंध में कोई भी प्रावधान व्यवहार प्रकिया सहिता में नहीं हैं और इसी आलोक में आवेदन को खारीज करने की प्रार्थना की गयी हैं। पूनः एक आवेदन दिनांक 01.02.2024 जो शपथ पत्र से समर्थित हैं इस आशय से दाखिल किया गया हैं कि चिन्तामणि देवी का नाम विलोपित करते हुए रामकुमारी देवी, रत्नेश कुमार सिंह, पवन सिंह, मन्जूला सिंह, रागनी सिंह, मु0 उषा देवी और रेणु सिंह प्रतिस्थापित किया जाए। इसके अलावा एक और प्रतिउत्तर दिनांक 08.02.2024 इस आशय का दायर किया गया हैं कि आवेदन दिनांक 01.02.2022 30 दिनो के अंदर दाखिल नहीं किया गया हैं। इसलिए अपीलवाद अपास्त कर दिया गया हैं और धारा 15बी भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम इस वाद पर प्रभावी नहीं हैं कि क्योंकि आदेश 22 नियम 4 व्य0प्र0स0 विधिज्ञ वारिसानो से संबंधित होता हैं और इसी आलोक में सम्पूर्ण अपीलवाद को अपास्त करने की प्रार्थना की गयी हैं। एक अन्य आवेदन दिनांक 22.02.2024 विलम्ब को माफ करने के संबंध में दाखिल किया गया हैं इसमें यह चर्चा की गयी हैं कि सारा विलम्ब संबंधित अधिवक्ता के गलती से हुआ हैं जिसमें अपीलकर्ता का कोई गलती नहीं और न्यायहित में विलम्ब को माफ किया जाए। इससे संबंधित प्रतिउत्तर में आवेदन का विरोध करते हुए चर्चा की गयी हैं अपीलवाद में दाखिल प्रतिस्थापना आवेदन विलम्ब से दाखिल किया गया हैं और व्य0प्र0स0 तथा लिमिटेशन एक्ट के अंतर्गत 60 दिनो की समय सीमा बीत चूॅकि हैं किन्तु वाद अपास्त होने के बाद विलम्ब माफ करने के लिए कोई आवेदन नहीं दाखिल किया गया। इसी आलोक में आवेदन 22.02.2024 को खारीज करने की प्रार्थना की गयी हैं।

5. संबंधित पक्षो को पूर्णरूपेण सुना गया। निश्चितरूप से यह दुर्भाग्य पूर्ण हैं कि एक ही उत्तरदावी के नाम विलोपित करने और उनके विधिक वारिसानो प्रतिस्थापित करने हेतु एक के बाद एक कई आवेदन दाखिल किया गया। दोनो पक्षो में अब सहमति हो चुकी हैं। इसलिए न्यायहित में मु0 चिन्तामणि देवी का नाम उत्तरदावी सं0–1 से नाम विलोपित करते हुए आवेदन में वर्णित विधिक वारिसानो का प्रतिस्थापित करने का आदेश पारित किया जाता हैं और ऐसे वारिसानो का नाम प्रतिस्थापित किया जाएगा जो वर्तमान में जीवित हैं। इस आवेदन के दाखिल करने के विलम्ब को माफ किया जाता हैं क्योंकि यह संबंधित अधिवक्ता के भूल के कारण हुआ हैं। अपीलकर्ता के वि0 अधिवक्ता को पूनः अगाह किया जाता हैं कि आज पारित आदेश के आलोक में कार्यालय के समक्ष नाम विलोपन और प्रतिस्थापना का काम पूर्ण कर ले।

दिनांक 19.12.2024 अग्रतर कार्यवाही हेतु।

लेखापित

जिला एवं अपर सत्र् न्यायाधीश–द्वितीय
हाजीपुर, वैशाली।